रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकरण से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 210] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 24, 1987/वैशाख 4, 1909
No. 210] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 24, 1987/VAISAKHA 4, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 1987

अधिसूचना

सं. 119/87-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा.का.नि. 411(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 49/86-केन्द्रीय

उत्पाद-शुल्क, तारीख 10 फरवरी, 1986 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में क्रम सं. 6 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)	(4)
"7.	6401.91	जूतों के भाग	परन्तु ऐसे भागों का उपयोग उत्पादन के कारखाने में ही उपशीर्ष सं. 6401.11 के अंतर्गत आने वाले जूतों के विनिर्माण में किया जाता है।"

[फा. सं. 352/2/87-टी आर यू]

सी. पी. श्रीवास्तव, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 24th April, 1987

NOTIFICATION

No. 119/87—CENTRAL EXCISE

GSR 411 (E):— In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of

Finance (Department of Revenue) No. 49/86-Central Excise, dated the 10th February, 1986, namely:—

In the Table annexed to the said notification, after Sl. No. 6 and the entries relating thereto, the following Sl. No. and entries shall be substituted, namely:—

1	2	3	4
"7	6401.91	Parts of Footwear	Provided that such parts are used in the factory of production itself in the manufacture of footwear falling under sub-heading No. 6401.11."

[F. No. 352/2/87-TRU]

C.P. SRIVASTAVA, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987